राजस्व आवेदन संख्या 246/2024
उनवान खैरदीन वगैरा बनाम मूलीदेवी वगैरा

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन सं. 246/2024
अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

| प्रार्थीगण | बनाम | विप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1. खैरदीन पुत्र एहसान<br>2. अमीन पुत्र एहसान<br>3. तल्ला पुत्र सलीम<br>4. फातमा पत्नी सलीम जातियान मुसलमान निवासीगण पांधी का निवाण तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।<br>5. सुगणा पत्नी सतराम<br>6. सुरज देवी पत्नी सवाईराम जातियान मेघवाल निवासीगण पांधी का निवाण तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। | | 1. मूलीदेवी पत्नी आदूराम जाति जाट निवासी पांधी का निवाण तहसील सड़वा जिला बाड़मेर।<br>2. शाखा प्रबंधक बी.सी.सी.बी. शाखा सेड़वा।<br>3. शाखा प्रबंधक आई.सी.आई.सी.आई. शाखा बुरहान का तला<br>4. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. शाखा सेड़वा।<br>5. तहसीलदार सेड़वा। |

**उपस्थित :प्रार्थी वकील –श्री बाबूलाल विश्नोई**

## –: निर्णय :–

**दिनांकः–** 09\03\2026

प्रार्थीगण खैरदीन पुत्र एहसान जाति मेघवाल निवासी पांधी का निवाण तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर वगैरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षेप में सार इस प्रकार है– **"प्रार्थीगण का खातेदारी कब्जा काश्त का खेत ग्राम–पांधी का निवाण पटवार हल्का हरपालिया भू.अ.नि.क्षे. सारला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर के मुल खसरा नम्बर 36 रकबा 23.3746 हैक्टेयर में रकबा 4.3706 हैक्टेयर भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचान सलीम अमीन व खैरदीन ने विप्रार्थी संख्या 01 को 27 बीघा (4.3706 हैक्टेयर) का बेचान कर उसका सेढा अंकित करवा दिया था, जिसका नवसृजित खसरा नम्बर 277/36 रकचा 4.3706 हैक्टेयर (27) बीघा) का आया हुआ है, शेष खसरा संख्या 36 रकबा 19.0040 हैक्टेयर हैं। प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 36 मौजा पांधी का निवाण पटवार हल्का हरपालिया भू. नि. क्षे. सारला तहसील सेडवा का रकबा 19.0040 हैक्टेयर हैं व खेत खसरा संख्या 277/36 रकबा 4.3706 हैक्टेयर हैं परन्तु सलीम अमीन व खैरदीन पि[illegible]न द्वारा बेचान की गई भूमि का नवीन खसरे का लट्ठा ट्रेस पर नक्शे का इन्द्राज [illegible] समय विप्रार्थी संख्या 01 व हल्का**

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:39:55 IST
Reason: SelfAttested



उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा
सत्यमेव जयते

पटवारी ने मिलीभगत करके नक्शे में 27 बीघा (4.3706 हैक्टेयर) भूमि की जगह करीब 45 बीघा भूमि का नक्शा बना दिया जिसे प्रार्थीगण के नक्शे में शेष भूमि कम रह गई हैं व जमाबंदी में रकबा सही अंकित होने से प्रार्थीगण तरमीम दुरुस्त करवाने के हकदार होने से तरमीम दुरस्ती का प्रार्थना पत्र पेश हैं। इसी अनुसार प्रार्थीगण की ढाणीयां, टांके, चारबाडे व कृषि कनेक्शन लिया हुआ हैं व मौके पर इसी अनुसार कब्जा काश्त हैं। नवीन खसरे का लट्ठा ट्रेस पर नक्शे का इन्द्राज करते समय विप्रार्थी संख्या 01 व हल्का पटवारी ने मिलीभगत करके नक्शे में 27 बीघा (4.3706 हैक्टेयर) भूमि की जगह करीब 45 बीघा भूमि का नक्शा बना दिया, जिसे प्रार्थीगण के नक्शे में शेष भूमि कम रह गई हैं व जमाबंदी में रकबा सही अंकित है तथा प्रार्थीगण के कब्जे से भिन्न गलत तरमीम की है ऐसी सुरत में पटवारी हल्का द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए नवीन खसरे का लट्ठा ट्रेस पर नक्शे का इन्द्राज करते समय नक्शे में गलत तरमीम की गई है, तथा जमाबंदी के रकबा 27 बीघा (4.3706 हैक्टर) से भिन्न स्थिति का नक्शा करीब 45 बीघा बना दिया है, जिससे बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये नवीन खसरे का लट्ठा ट्रेस पर नक्शे का इन्द्राज करते समय विप्रार्थी संख्या 01 व हल्का पटवारी ने मिलीभगत करके तरमीम, कब्जे, व जमाबंदी के रकबे से विपरीत किया नक्शे इन्द्राज अवैध व गैर कानूनी होने से मौके पर स्थित कब्जा, ढाणी, माठ अनुसार तरमीम की जाकर नक्शे की दुरूस्ती करवाने का प्रार्थीगण हकदार होने से नक्शा दुरुस्त व तरमीम शुद्धिकरण का प्रार्थना पत्र पेश है। मौके पर कब्जा व जमाबंदी रकबे अनुसार परिशिष्ट "अ" में पीले कलर में दर्शाया गया है. व प्रार्थीगण के बेचान के अनुसार जो प्रार्थीगण की भूमि है। उक्त परिशिष्ट "अ" प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग माना जावें। नवीन खसरे का लट्ठा ट्रेस पर नक्शे का इन्द्राज करते समय विप्रार्थी संख्या 01 व हल्का पटवारी ने मिलीभगत करके तरमीम कब्जे, व जमाबंदी के रकबे से विपरित नक्शे को इन्द्राज किया गया है जिससे उक्त नक्शे की तरमीम दुरूस्त करवाने का प्रार्थीगण कानूनी हकदार होने से यह प्रार्थना पत्र पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम–पांधी का निवाण पटवार हल्का हरपालिया भू.अ. नि.क्षे. सारला, तहसील सेडवा, जिला [illegible]36 रकबा 19.0040 हैक्टेयर व खसरा संख्या 277/36 रकबा 4.3706 हैक्टर में [illegible] जमाबंदी रकबे व मौके पर स्थित



उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा
Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:39:55 IST
Reason: SelfAttested
उपखण्ड अ... (SDO) सेड़वा

**कब्जा, ढाणी तरमीम परिशिष्ट "अ" अनुसार की जाकर नक्शे दुरूस्ती करने का आदेश तहसीलदार सेड़वा के नाम जारी फरमावें।"**

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस तलब किए। विप्रार्थीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त, जिन्हें शामिल पत्रावली किया जाता है। विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाती है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सेड़वा से न्यायालय के आदेश क्रमांक रीडर/2025/236 दिनांक 10.03.2025 द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन के लिए लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ./2025/311 दिनांक 05.06.2025 द्वारा न्यायालय को तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन **"मौके पर उपस्थित खातेदारों एवं मोतबरान के रूबरू ग्राम पांधी का निवाण के खसरा नंबर 534/36, 535/36, 536/36 खातेदार अमीन पुत्र एहसान सैरदीन वगैरा एवं खसरा नंबर 537/277, 538/277, 539/277 खातेदार मूलीदेवी पत्नी आदुराम कौम जाट जो कि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। खातेदार मूलीदेवी ने जमीन खैरदीन वगैरा से जरिए रजि. दिनांक 10.07.2006 नामांतरकरण संख्या 329 दिनांक 05.08.2006 मूल खसरा संख्या 36 से नया खसरा नंबर 277/36 रकबा 27.00 बीघा वर्तमान खसरा नंबर 537/277 रकबा 0.1538 हैक्टेयर, खसरा नंबर 538/277 रकबा 2.0230 हैक्टेयर, 539/277 रकबा 2.1938 हैक्टेयर, मूल खसरा नंबर 36 में से तरमीम करते वक्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के कब्जा काश्त अनुसार लट्ठा ट्रेस में तरमीम अंकन सही नहीं किया गया है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के वर्तमान ढाणियां व कब्जा लट्ठा ट्रेस अनुसार एवं ऑनलाईन नक्शा अनुसार सही नहीं है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के वर्तमान लट्ठाट्रेस में अंकित तरमीम को संलग्न नक्शे को परिशिष्ट 'अ' से दर्शित किया गया है। प्रार्थीगण के कब्जा काश्त को हरा रंग से विप्रार्थीगण के कब्जा काश्त को लाल रंग से दर्शित किया गया है। संलग्न नक्शे में परिशिष्ट "ब" कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरुस्ती का अंकन किया गया है। अतः संलग्न नक्शे में दर्शित परिशिष्ठ "ब" अनुसार तरमीम दुरुस्ती किया जाना प्रस्तावित किया गया है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:39:55 IST
Reason: Signed

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

**संलग्न नक्शा फर्द मौका (तरमीम दुरुस्ती) का अभिन्न अंग है। फर्द मौका मोतबरान को पढकर सुनाई गई एवं उपस्थित मोतबरान के हस्ताक्षर करवाए गए।''**

प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस की। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया है। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन, मनन तथा विचारण उपरांत, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 246/2024 उनवान खैरदीन वगैरा बनाम मूलीदेवी वगैरा अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन अनुसार तहसील सेड़वा के पटवार मण्डल हरपालिया के ग्राम पांधी का निवाण के खसरा नम्बर 36 रकबा 19.0040 हैक्टेयर व खसरा संख्या 277/36 रकबा 4.3706 हैक्टेयर भूमि तहसीलदार सेड़वा द्वारा परिशिष्ट ''ब'' में दर्शाए अनुसार प्रस्तावित तरमीम दुरुस्त किया जाना उचित है। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों तथा तहसीलदार सेड़वा के तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन पर युक्तियुक्त विचारण के उपरांत जांच प्रतिवेदन में दर्शित परिशिष्ट ''ब'', अनुसार **राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन(पत्रांकः भू.अ./2025/311 दिनांक 05.06.2025 के संलग्न मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 30.03.2025, खसरा नक्शा व जमाबंदी, परिशिष्ट 'ब' अभिलेख आदि) निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि वह तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।**

निर्णय आज दिनांक 09/03/2026 को खुले इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:39:55 IST
Reason: SelfAttested

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

राजस्थान सरकार

# कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा बाडमेर

क्रमांक / भू.अ. / 2025 / 311 दिनांकः– 05-08-2025

प्रेषितः–

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सेड़वा (जिला– बाड़मेर)

विषयः– राजस्व वाद संख्या 246/2024 अनवान खैरदीन वगैरह बनाम मूलीदेवी वगैरह अन्तर्गत RLR धारा 131,136 में तरमीम दुरस्ती रिपोर्ट भेजने बाबत।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप द्वारा राजस्व वाद संख्या 242/2024 अनवान खैरदीन वगैरह बनाम मूलीदेवी वगैरह में मौजा पांधी का निवाण के खसरा 277/36 एवं 36 की अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR ACT में तरमीम दुरस्ती हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट आप द्वारा चाही थी। जिसकी भू.अ. निरीक्षक सारला द्वारा दिनांक 30.03.2025 को मौका जांचकर वादी प्रतिवादी व पड़ोसियों मौतबरानों सहखातेदारों के रूबरू जांच रिपोर्ट तैयार पेश गई । जो इस पत्र के सलंग्न आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जा रही है।

सलंगनः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा
तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

14/07/25

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:39:55 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम - कीरतवाड़
मौजा - पांडी का निवाण
पैमाना - 1" = 80 गज

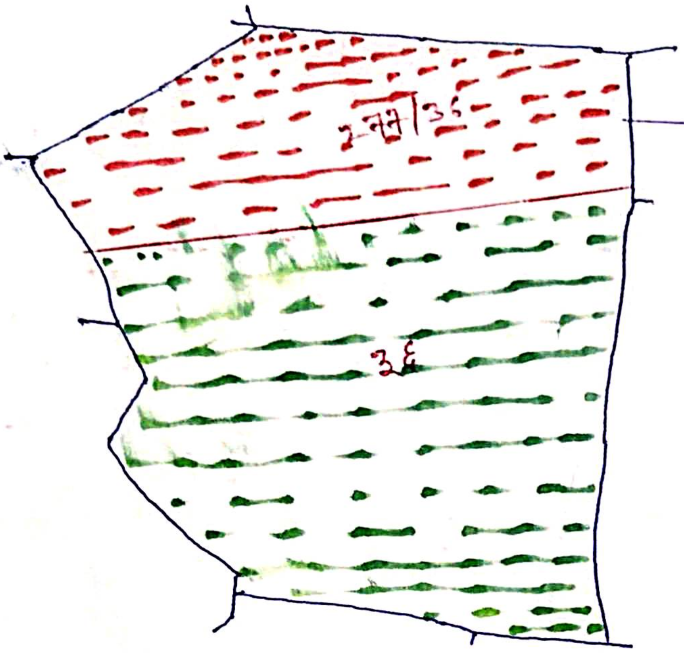


परिशिष्ट "अ"

प्रथम कोर्ट

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

परिशिष्ट "ब" खसरा कारवाई अनुसार प्रस्तावित तरमीम

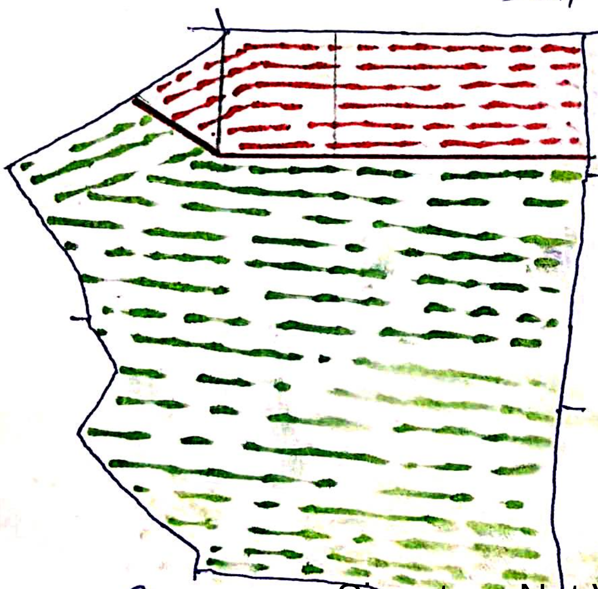

संकेत

मूली देवी w/o ...

खैरदीन, अमीन वगैरह

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

30/03/2025
ILR सारला

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:30:55 IST
Reason: SelfAttested

नि. अ.
खैरदीन

बहादुर

तहरीर

डूंगराराम
(डूंगराराम पुत्र मूलीदेवी)

मालाराम / आइदान
माता - मूली देवी

# मौका फर्द

आज दिनांक 30/03/25 को श्रीमान तहसीलदार सेड़वा के आदेश/क्रमांक / मु. अ./673/18.03.25 एवम् श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय सेड़वा राजस्व आवेदन संख्या 256/2024 अनवान खैरदीन वगैरह बनाम मूलीदेवी वगैरह अन्तर्गत 136 RLR एक्ट मे तरमीम दुरस्ती हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करने हेतु मौके पर पहुंचा।

मौके पर उपस्थित खातेदार एवम् मौतबरान के रूबरू ग्राम पांची का निवाण(?) के खसरा नं. 534/26, 535/36, 536/36 खातेदार अमीन पुत्र एहसान खैरदीन वगैरह एवम् खसरा नं. 537/277, 538/277, 539/277 खातेदार मूलीदेवी पत्नि आदुराम कौम जाट जो कि राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है खातेदार मूलीदेवी ने जमीन खैरदीन वगैरह से जरिये रजि. दिनांक 10/7/2006 नामान्तरण सं. 329 दिनांक 5/8/06 मूल खसरा संख्या 36 से नया खसरा नं. 277/36 रकबा 27.00 बीघा वर्तमान खसरा नं. 537/277, रकबा 0.1538 है. ख.नं. 538/277, रकबा 2.0230 है. 539/277 रकबा 539/277 रकबा 2.1938 है. मूल खसरा नं. 36 मे से तरमीम करते वक्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण कि कब्जा काश्त अनुसार लट्ठा ट्रेस मे तरमीम अंकन सही नही किया गया है।

प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के वर्तमान हदीमा(?) व कब्जा लट्ठा ट्रेस अनुसार एवम् आनलाईन नक्शा अनुसार सही नहि है

प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के वर्तमान लट्ठाट्रेस मे अंकित तरमीम को सलंग्न नक्शा को परिशिष्ठ 'अ' से दर्शित किया गया है प्रार्थीगण के कब्जा काश्त को हरा रंग से, विप्रार्थीगण के कब्जा काश्त को लाल रंग से दर्शित किया गया है।

सलग्न नक्शे मे परिशिष्ठ "अ" कब्जा-काश्त अनुसार तरमीम दुरस्ती का अंकन किया गया है।

अतः सलग्न नक्शे मे दर्शित परिशिष्ठ "ब" अनुसार तरमीम दुरस्त किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

सलग्न नक्शा फर्द मौका (तरमीम दुरस्ती) का अभिन्न अंग है। फर्द मौका मौतबरान को पढ़कर सुनाई गयी एवम् उपस्थित मौतबरान के हस्ताक्षर करवाये गये

संलग्न- नक्शा परिशिष्ठ "अ" "ब"
- नामान्तरण
- रजिस्ट्री प्रति

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:..:55 IST
Reason: SelfAttested

30/3/2025
[illegible]

अमीन

तहसीलदार (मु.अ.) सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

मालाराम / आइराम
L-माता- मूली देवी

अमीन
खैरदीन

कासम

डूंगरराम
(डूंगरराम S/o मूलीदेवी)

ताहिर